



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02022022-233069
CG-MH-E-02022022-233069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]
No. 399]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

आदेश

नागपुर, 24 जनवरी, 2022

का.आ. 414(अ).—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957(1957 का 67) की धारा 18 तथा खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 24 के उपनियम (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसरण में खान बंद करने की अंतिम योजना दस्तावेज के साथ खनन पट्टे के सम्पूर्ण एवं आंशिक क्षेत्र, जिसके लिये भारतीय खान ब्यूरो के पास अनुमोदन हेतु ऐसी खान बंद करने की योजना प्रस्तुत की गई है, प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से गैर-प्रतिदेय शुल्क रुपये पच्चीस हजार मात्र देना होगा।

यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

[फा. सं. टी-43010/सीजीबीएम/2017]

संजय लोहिया, महानियंत्रक प्रभारी

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

ORDER

Nagpur, the 24th January, 2022

S.O. 414(E).—In pursuance of Section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) read with sub-rule (1) of Rule 24 of Mineral Conservation and Development Rules 2017, the final mine closure plan document shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees twenty five thousand only per square kilometers of the entire or part area of the mining lease for which such mine closure plan has been submitted to the Indian Bureau of Mines for approval.

This order shall come into force with immediate effect from the date of notification in the Official Gazette of India.

[F. No. T-43010/CGBM/2017]

SANJAY LOHIYA, Controller General (I/C)